



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072021-228256
CG-DL-E-13072021-228256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2593]
No. 2593]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2021/आषाढ़ 21, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2021/ASHADHA 21, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

का.आ. 2798(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, प्रतापगढ़ (NH731A) के कि.मी 0 से 35 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH731A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	संख्यम प्राधिकारी / मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH731A के कि.मी. 0 से 35 तक	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	लालगंज	1 नौबस्ता
						2 रेडी
						3 देवापुर सकली
					कुंडा	1 छेवंगा
						2 औतारपुर
						3 बूढ़ेपुर

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/16/NH-731A/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2021

S.O. 2798(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 0 to 35 of CE-RO-OFFICE PRATAPGARH (NH731A) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH731A in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Competent Authority/ Chief Revenue Officer, Pratapgarh	0KM To 35KM	UTTAR PRADESH	PRATAPGARH	Lalganj	1Naubasta
						2Redee
						3Devapur Sakli
					Kunda	1Chhewanga

